

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-02, द्वितीय तल, पटना-15

आदेश

अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-960 दिनांक-30.06.2021 एवं संकल्प संख्या-1253 दिनांक-26.06.2024 द्वारा बिहार अभियोजन सेवा के वैसे सभी पदाधिकारी जिनकी सेवा सम्पुष्ट हो गयी है, उन्हें कार्यहित में लैपटॉप क्रय करने पर अधिकतम राशि 60,000/- (साठ हजार) रुपये मात्र का भुगतान का आदेश संसूचित है।

2. बिहार अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को न्यायिक एवं अर्द्ध-न्यायिक कार्यों के ससमय निष्पादन करने, eprosecution पर दैनिक कार्य करने, नये आपराधिक कानूनों के विविध प्रावधानों व न्यायिक निर्णयों के अध्ययन द्वारा अभियोजन कार्यों में गुणात्मक कार्य क्षमता बढ़ाने, निदेशालय को मासिक कार्य प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदन विभागीय Website पर Upload करने हेतु बिहार अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को नवीनतम विशिष्टियों का (High Speed इंटरनेट सेवा की उच्च गुणवत्ता के Storage सुविधायुक्त लैपटॉप एवं एसेसीरिज) लैपटॉप के क्रय पर पूर्व में निर्गत संकल्प ज्ञापांक-960 दिनांक-30.06.2021 में निर्धारित अधिकतम 60,000 (साठ हजार) रुपये में बढ़ोत्तरी करते हुए 80,000 (अस्सी हजार) रुपये मात्र किया जाता है।

3. अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-960 दिनांक-30.06.2021 एवं संकल्प संख्या-1253 दिनांक-26.06.2024 की शेष सभी कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

4. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

5. इसमें अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(सुधांशु कुमार चौबे)

विशेष सचिव-सह-प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0 (16) 22/2018/विविध... 2427
प्रतिलिपि:-

दिनांक 25/11/24

1. महालेखाकार, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य अभियोजक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रभारी सहायक अभियोजक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सहायक निदेशक(बजट/क्रय), अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-प्रभारी निदेशक।

अमेर